वेब प्रचालन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066.
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110 066.

संख्याः सी – III/4(187)/11/मुख्या/ दिनांकः

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी)

विषयः रिजल्टस फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थापनाओं की कवरेज एवं सदस्यता में वृद्धि।

महोदय,

मुख्यालय के पत्र संख्या एम आई एस–3 (1) आर एफ डी/श्रम एवं रोजगार मंत्रालय /2009–10/ वाल्यूम दिनांक 09.09.2011 के द्वारा परिचालित रिजल्टस फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (आर. एफ. डी) में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति (अप्रैल–जुलाई–2011) की समीक्षा से पता चला है कि स्थापनाओं की कवरेज में हुई प्रगति, क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से बहुत अधिक पीछे है। अतः ऐसा अनुभव किया गया है कि कवरेज एवं सदस्यता में वृद्धि की बड़ी संभावना है। अतः यह निदेश दिए जाते हैं कि आर एफ डी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कदम उठाए जाएं एवं कवरेज हेतु पात्र सभी स्थापनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अन्तर्गत लाया जाए। निरीक्षण के दौरान सदस्यता में टाल मटोल की जांच एवं अधिनियम की धारा 2 ए के अन्तर्गत कवर की गई स्थापनाओं की अन्य क्षेत्रों में स्थित शाखाओं के निरीक्षण को भी महत्व दिया जाना चाहिए। जहाँ से स्थापना को कवर किया गया है उस क्षेत्र को ऐसे निरीक्षण की सम्पूर्ण रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी।

आर. एफ. डी प्रोग्राम की मानीटरिंग सहायक भविष्य निधि आयुक्त एवं ए. ई. ओ. स्तर पर की जाएगी एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे अधिकारियों की सूची बनाई जाएगी ताकि ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

भवदीय

(के. सी. पाण्डेय)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त(अनुपालन)

प्रतिलिपिः
1) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी) को वेब पर डालने हेतु